आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 (1.) कृष्णा ठाकुर, (2.) मुकेश ठाकुर दोनों के पिता स्व0 भुनेश्वर ठाकुर, (3.) टिंकू ठाकुर, (4.) मनोज कुमार ठाकुर दोनों के पिता स्व0 बसंत ठाकुर, निवास स्थान मण्डईखुर्द, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवहीहा, थाना नं0-162, खाता संख्या-26, प्लॉट संख्या-654, रकवा-0.0462 एकड़ (4.62 डिसमिल) (चार दशमलव छः दो डिसमिल) भूमि रूपा देवी पति केदार ठाकुर पिता गया ठाकुर दादा स्व0 श्याम ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-जोकट, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-86/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 289/रा0 दिनांक 20.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1404 दिनांक 03.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत बुद्रू हजाम हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 8.73 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 8.42 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-26/I पर बुद्रू हजाम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद 2015-16 तक निर्गत् है। आवेदकगण के परदादा, छरदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 8.3758 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी त
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) कृष्णा ठाकुर, (2.) मुकेश ठाकुर दोनों के पिता स्व0 भुनेश्वर ठाकुर, (3.) टिंकू ठाकुर, (4.) मनोज कुमार ठाकुर दोनों के पिता स्व0 बसंत ठाकुर, निवास स्थान मण्डईखुर्द, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं0-162, खाता संख्या-26, प्लॉट संख्या-654, रकबा-0.0462 एकड़ (4.62 डिसमिल) (चार दशमलव छः दो डिसमिल) भूमि रूपा देवी पति केदार ठाकुर पिता गया ठाकुर दादा स्व0 श्याम ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-जोकट, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.08.29 16:51:21 +05:30
Location: 192.168.0.103